परियोजना का नाम :– ग्राम–थानों (नौगांव चक), थानों रेंज, जनपद–देहरादून में उत्तराखण्ड होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना।

प्रतिवेदन

भूमिका:– ''होमगार्ड्स'' नामक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना सर्वप्रथम इंग्लैण्ड में द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुई थी। भारत वर्ष में होमगार्ड्स संगठन दिसम्बर 1946 में मुम्बई में शान्ति व्यवस्था ड्यूटी हेतु स्थापित किया गया था। कालान्तर में इस प्रकार की स्वयंसेवी संगठनों की महत्ता एवं उपयोगिता को देखते हुये कई राज्यों में होमगार्ड्स स्वयं सेवकों की स्थापना की गयी। वर्ष 1962 में भारत पर हुये चीनी आक्रमण के उपरान्त भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों को यह निर्देश दिये गये थे कि वे सभी विद्यमान स्वयं सेवी संस्थाओं को एकीकृत कर होमगार्ड्स के रूप में स्थापित करें। तत्पश्चात् उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स अधिनियम 1963 पारित किया गया, जिसके अन्तर्गत वर्तमान में उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड में होमगार्ड्स कार्य कर रहे हैं।

2. होमगार्ड्स विभाग का मुख्य कार्य पुलिस के सहायक के रूप में कार्य करना है, अपेक्षा किये जाने पर सार्वजनिक व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा बनाये रखने में सहायता करना, आपात्काल के समय लोक समाज की सहायता करना, विशिष्ट कार्यों हेतु नियत किये जाने पर आपातकालीन दल के रूप में कार्य करना, अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण की व्यवस्था करना व लोक कल्याण से सम्बन्धित कार्यों को करना है।

3. उत्तराखण्ड राज्य के सृजन के बाद राज्य में होमगार्ड्स स्वयं सेवकों का विशेष योगदान रहा है राज्य पुलिस बल सीमित होने के कारण विभिन्न मेलों, त्यौहारों, यातायात, शान्ति व्यवस्था, यात्रा सीजन, बोर्ड परीक्षाओं, चुनाव व कुम्भ मेला आदि में होमगार्ड्स स्वयं सेवको की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। होमगार्ड्स सुदूर पर्वतीय ग्रामीण अंचलो में राजस्व पुलिस के कर्मियों के साथ शान्ति व्यवस्था बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा एवं सचिवालय की समुचित सुरक्षा किये जाने तथा कार्यालय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिये होमगार्ड्स कर्मी बड़ी लगन से डयूटी निभा रहे हैं, इसके साथ ही महत्वपूर्ण संस्थानो जैसे दूरदर्शन केन्द्र, खाद्य निगम, परिवहन, व्यापार कर, जेल, जल संस्थान, बी0एच0ई0एल0, हरिद्वार व नैनीताल झील प्राधिकरण विभाग आदि में अपनी डयूटियों का निर्वहन कर रहे हैं।

केन्द्रीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 के लागू होने के पश्चात देहरादून नगर में नागरिक सुरक्षा की स्थापना फरवरी 1970 में की गयी थी। नागरिक सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य दुश्मन राष्ट्र के द्वारा किये गये हवाई आक्रमण से होने वाले जनधन की क्षति को कम करना है। इस हेतु नागरिक सुरक्षा की 12 सेवाओं का गठन किया है जो इस प्रकार है। (1) मुख्यालय सेवा (2) वार्डन सेवा (4) हताहत सेवा (5) प्रशिक्षण सेवा (6) अग्निशमन सेवा (7) बचाव सेवा (8) कल्याण सेवा (9) डिपों एवं परिवहन सेवा (10) पूर्ति सेवा (11) शव निस्तारण सेवा (12) उद्धार सेवा।

(क). योजना/प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण:– यह योजना पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गयी है। महानिदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन बल एवं नागरिक सुरक्षा, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र संख्याः VI-14025/1/09-DGCD(CD) दिनांकः 09–02–2011 **(परिशिष्ट–'क')** द्वारा विभिन्न राज्यों में नये केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान के सृजन व उपकरण तथा परिवहन आदि की व्यवस्था किये जाने के आदेश दिये गये हैं। अपेक्षाकृत छोटे राज्यों में अन्य राज्यों की भांति होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा के लिये एक संयुक्त केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने हेतु भी निर्देशित किया गया है। सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र संख्याः I-45011/14/2010-AD(CD)-Pt.III दिनांकः 10–09–2010 **(परिशिष्ट–'ख')** द्वारा मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को रिवेम्पिंग ऑफ सिविल डिफेन्स योजना के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र संख्याः VI-14025/1/09-DGCD(CD) दिनांकः

01–10–2010 **(परिशिष्ट–'ग')** द्वारा केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान हेतु भूमि राज्य सरकार द्वारा आवंटित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। भारत सरकार के पत्र संख्याः VI-14025/1/09-DGCD(CD) दिनांकः 08–07–2009 **(परिशिष्ट–'ड.')** द्वारा उक्त संस्थान का एक सम्पूर्ण ले–आऊट प्लान सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजा गया है।

(ख). **<u>समस्यायें जिनका परियोजना से समाधान होगा</u>**:– जैसा कि शासन को समय–समय पर अवगत कराया गया है कि उत्तराखण्ड में होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के लिये केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान न होने के कारण वैतनिक स्टाफ को आधारभूत तथा अवैतनिक स्टाफ को अग्रिम/शस्त्र/नेतृत्व/यातायात/आपदा प्रबन्धन में खोज एवं बचाव, प्राथमिक उपचार/फायर फायटिंग का प्रशिक्षण/घायलों की प्राथमिक सहायता/चिकित्सा/बहुमंजिले छतिग्रस्त भवनों से बचाव, शत्रु के हवाई आक्रमण से पूर्व हमले के समय एवं उसके पश्चात् उत्पन्न होने वाली समस्याओं के प्रति जागरूकता एवं सुरक्षात्मक उपाय तथा चेतावनी व्यवस्था का प्रशिक्षण दिया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। उचित प्रशिक्षण के आभाव में विभागीय कार्य क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। निर्माण होने पर वैतनिक प्लाटून कमाण्डर, ब्लॉक आर्गनाइजर, हवलदार प्रशिक्षक की सीधी भर्ती के उपरान्त नौ माह का बेसिक प्रशिक्षण तथा एक माह का रिफ्रेसर प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा होमगार्ड्स के अवैतनिक कम्पनी कमाण्डर, अवैतनिक सहायक कम्पनी कमाण्डर व अवैतनिक प्लाटून कमाण्डर को 42 दिवसीय बेसिक प्रशिक्षण तथा 21 व 30 दिवसीय लीडरशीप/रिफ्रेसर प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर आयोजित प्रशिक्षण भी सम्मिलित रहेंगे।

उत्तराखण्ड राज्य में होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के अधिकारियों एवं जवानों के लिये केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान उपलब्ध न होने के कारण प्रशिक्षण के लिये राज्य से बाहर जाना पड़ता है। केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना से होमगार्ड्स के वैतनिक अधिकारियों एवं नागरिक सुरक्षा के स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण उत्तराखण्ड राज्य में ही कराया जा सकेगा। होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग दैवीय आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य उत्तराखण्ड में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगा। उक्त प्रशिक्षण संस्थान में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जायेंगे, जिसमें एन0सी0सी0/एन0एस0एस0 एवं स्कूल कॉलेज के छात्र–छात्राओं को भी प्रशिक्षित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा निम्न सेवाओं पर प्रशिक्षण दिया जायेगा:– मुख्यालय सेवा, वार्डन सेवा, अग्निशमन सेवा, हताहत सेवा, संचार सेवा, प्रशिक्षण सेवा, डिपो एवं परिवहन सेवा, बचाव सेवा, कल्याण सेवा, साल्वेज सेवा, शव निस्तारण सेवा तथा पूर्ति सेवा। अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के लिये वर्षवार प्रशिक्षण कोर्स निर्धारित किये जाने के उपरान्त निष्पादित किये जाते हैं।

(ग). **<u>योजना का उद्देश्य</u>**:– राज्य में केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान को खोले जाने के उपरान्त विभिन्न प्रशिक्षणों के अन्तर्गत विभिन्न विभागीय अधिकारियों एवं स्वयं सेवीयों को विभागीय प्रशिक्षण दिया जायेगा, जिसमें क्लासरूम तथा फिल्ड प्रशिक्षण सम्मिलित है। साथ ही किसी भी आंतरिक एवं बाहरी संकट के समय, आवश्यक सेवाओं को बनाये रखने, माहमारी, भूकम्प जैसी आपदाओं के समय किस प्रकार की भूमिका निभायेंगे का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। साथ ही पायलेट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत विभिन्न सामाजिक कुरीतियों से जनसामान्य को जागरूक कराने हेतु पब्लिसीटी एवयरनेस कार्यक्रम चलाये जायेंगे।

उत्तराखण्ड में होमगार्ड्स विभाग के वैतनिक व अवैतनिक पदाधिकारियों की संख्या को देखते हुये यह स्पष्ट है कि वर्ष में विभिन्न श्रेणीयों के 140 अधिकारी/कर्मचारी व 120 अवैतनिक पदाधिकारियों को विभिन्न अवधि का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस प्रकार औसतन लगभग 60 प्रशिक्षार्णी होमगार्ड्स विभाग के पूरे वर्ष केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान की सुविधाओं का प्रयोग करेंगे। नागरिक सुरक्षा विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का पाठयक्रम के अनुसार प्रशिक्षण भी सम्मिलित किया जायेगा।

होमगार्ड्स सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों का समस्त प्रशिक्षण तथा होमगार्ड्स स्वयं सेवकों व नागरिक सुरक्षा विभाग के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान की

स्थापना की अत्यन्त आवश्यकता है। यही प्रशिक्षण संस्थान नागरिक सुरक्षा के कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण देने का कार्य करेगा। होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग का उत्तर प्रदेश राज्य में केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में अलग–अलग एक वृहद रूप में है, परन्तु उत्तराखण्ड राज्य की आवश्यकताओं एवं मितव्ययता को देखते हुये केन्द्रीय प्रशिक्षण को अलग–अलग बनाये जाने के बजाय संयुक्त रूप से बनाया जा रहा है, जिसमें पदों को सृजित करने का विवरण अलग से किया जायेगा।

(घ). **लक्षित लाभार्थी**:– संयुक्त केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा का मूल उद्देश्य प्रशिक्षण प्रदान कर उच्च श्रेणी के अधिकारी एवं स्वयं सेवी विकसित करना है, जिसका लाभ प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जनसामान्य को होगा।

(ड). **प्रबन्धकीय व्यवस्थायें**:– उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 को स्वीकृत किया गया है **(परिशिष्ट–'च')**। जिसका निर्माण भारत सरकार द्वारा स्वीकृत एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत रू0 1.46 करोड़, वित्तीय वर्ष 2013–14 में प्रारम्भ किया जायेगा।

(च). **वित्तीय स्रोत तथा योजना का बजट**:– गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने उत्तराखण्ड राज्य में New Civil Defence Training Institute Creation of Infrastructure के लिये अपने पत्र संख्याः VI-14025/06/10-DGCD(CDRC) दिनांकः 19–07–2012 **(परिशिष्ट–'घ')** के द्वारा रू0 1.46 करोड़ की धनराशि दी है।

(छ). **सस्टेनेबिलिटी**:– यह योजना होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के लिये एक प्रशिक्षण संस्थान विकसित करने की है। प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण के उपरान्त होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग उत्तराखण्ड राज्य में बदलते परिवेशों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम होगा।

(ज). **योजना/परियोजना का औचित्यः**– यह योजना भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गयी है, जिसमें होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग का केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान जनपद–देहरादून में बनाया जाना है। उक्त निर्माण हेतु भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार राज्य अपनी आवश्यकता एवं भौगोलिक स्थिति के अनुसार भूमि को निशुल्क आवंटित कराकर केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाये।

होमगार्ड्स सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों का समस्त प्रशिक्षण तथा होमगार्ड्स स्वयं सेवकों व नागरिक सुरक्षा विभाग के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की अत्यन्त आवश्यकता है। यही प्रशिक्षण संस्थान नागरिक सुरक्षा के कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण देने का कार्य करेगा। होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग का उत्तर प्रदेश राज्य में केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में अलग–अलग एक वृहद रूप में है, परन्तु उत्तराखण्ड राज्य की आवश्यकताओं एवं मितव्ययता को देखते हुये केन्द्रीय प्रशिक्षण को अलग–अलग बनाये जाने के बजाय संयुक्त रूप से बनाया जा रहा है, जिसमें पदों को सृजित करने का विवरण अलग से किया जायेगा।

(झ). **परियोजना के पूर्ण होने की अनुमानित अवधि तथा परियोजना के विभिन्नन चरणों के पूरा होने के सम्बन्ध में अनुमानित समय तालिकाः**– वित्तीय वर्ष 2013–14 व 2014–15.

(ञ). **व्यय की मद आयोजनागत (प्लान), आयोजनेत्तर (नान प्लान) केन्द्र सहायतित (प्रतिशत में)**:– व्यय की मद पूर्ण रूप से आयोजनेत्तर (नान प्लान) है, जो केन्द्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत दी जानी है।

(ट). **भूमि उपलब्धता की स्थितिः**– जनपद देहरादून में होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान के लिये ग्राम–थानों (नौगांव चक), थानो रेंज, जनपद–देहरादून में वन विभाग के अधिकारियों द्वारा 05 हैक्टेयर भूमि का चयन किया गया है। होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिये चयनित की गयी 05 हैक्टेयर वन भूमि में से 1.5 हैक्टेयर भूमि पर ही भवन निर्माण किया जायेगा। शेष 3.5 हैक्टेयर भूमि पर भूमि का प्रयोग खुले क्षेत्र

के रूप में जवानों के प्रशिक्षण क्षेत्र के रूप में प्रयोग किया जायेगा। इस प्रकार प्रस्तावित 05 हैक्टेयर वन भूमि में से लगभग 30 प्रतिशत भूमि का उपयोग ही प्रशासनिक कार्यालय, प्रशिक्षण भवन, रेस्क्यू टावर, फायर ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, वाटर पूल, क्वार्टर गार्ड, हॉस्टल, मेस, पुस्तकालय, भण्डार कक्ष, नियंत्रण कक्ष भवनों हेतु कवर क्षेत्रफल के रूप में किया जायेगा, जिससे प्रस्तावित वन भूमि में खड़े पेड़ों के पातन की भी आवश्यकता नहीं होगी।

भूमि का चयन उत्तराखण्ड होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग व वन विभाग द्वारा किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में काश्तकारों के पास सीमित मात्रा में निजी भूमि है और वह भी एक स्थान में न होकर छोटी–छोटी जोतों में है, जिस कारण निर्माण कार्यों के किये नाप भूमि उपलब्ध नहीं हो पाती है। उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्र में काश्तकारों की निजी नाप भूमि के अतिरिक्त सभी प्रकार की भूमि को वन भूमि की श्रेणी में लिया गया है। प्रस्तावित भूमि को होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को स्थानान्तरित करने में ग्रामवासियों/स्थानीय निवासियों को कोई आपत्ति नहीं है। प्रस्तावित भूमि का भू–वैज्ञानिक से भी परीक्षण कराया गया है। उनके द्वारा इसे भूगर्भीय एवं पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है।

अतः महानिदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन बल एवं नागरिक सुरक्षा, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र संख्याः VI-14025/1/09-DGCD(CD) दिनांकः 09–02–2011 **(परिशिष्ट–'क')**, सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र संख्याः I-45011/14/2010-AD(CD)-Pt.III दिनांकः 10–09–2010 **(परिशिष्ट–'ख')** द्वारा मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को रिवेम्पिंग ऑफ सिविल डिफेन्स योजना के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र संख्याः VI-14025/1/09-DGCD(CD) दिनांकः 01–10–2010 **(परिशिष्ट–'ग')**, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्याः VI-14025/06/10-DGCD(CDRC) दिनांकः 19–07–2012 **(परिशिष्ट–'घ')**, पत्र संख्याः VI-14025/1/09-DGCD(CD) दिनांकः 08–07–2009 **(परिशिष्ट–'ड.')**, कार्यालय उप प्रभागीय अधिकारी (ऋषिकेश), देहरादून के पत्र संख्याः 470/12 दिनांकः 23–10–2013 और कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून के पत्र संख्याः 1145(1)/12–1 दिनांकः 22–10–2013 के आदेशानुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत ग्राम–थानों (नौगांव चक), थानो रेंज, जनपद–देहरादून के पास स्थित संरक्षित वन भूमि में से 05 हैक्टेयर भूमि उत्तराखण्ड होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा के केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान को स्थानान्तरित करने हेतु यह प्रस्ताव गठित कर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

नाम

होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा
निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

मोहर